

नम्बर 2009 रकबा 43-01 बीघा व खसरा नम्बर 2027 रकबा 66-08 बीघा कुल रकबा 109-09 बीघा भूमि एवं प्रतिवादी की सामग्री की पुस्तिका को भूमि ग्राम बड़ी हाणी पटवार क्षेत्र घटार तहसील बाप के खसरा अधिवक्ता वादीगण ने अपनी बहस में वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये बताया कि वादीगण जनकीयात कायम करने की आवश्यकता नहीं रही। इसलिये पत्रावली बहस में रखी गई।

किया। जो शामिल मिसल किये गये। वाद का प्रतिवादी की तरफ से विरोध नहीं किया गया इसलिये इकबालिया जवाब प्रस्तुत करते हुये वादीगण का वाद को माफिक इस्तर्जआ डिक्ली किसे जाने का निवेदन प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता श्री रिउपालसिंह सोलंकी ने अपना बकालतनामा प्रस्तुत किया और वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जयिय समन तलब किया गया।

किये। साथ जमाबंदीया, नामांतरकरण की प्रतिलिपि, मतदाता परिचय पत्र, आधार कार्ड इत्यादि दस्तावेजों प्रस्तुत उक्त वादग्रस्त भूमि में 1/3 हिस्सा में संयुक्त खातेदार कारणकार धारित किया जावे। वादीगण ने वाद के हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत जन्म से ही एक निहित हो जाता है वादीगण को प्रतिवादी के साथ के प्राप्त हुई है। चौक वादीगण प्रतिवादी की जायदाद संतान है इसलिये उक्त वादग्रस्त भूमि में खर्चाल पुत्र टीकाराम के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज रही है तथा प्रतिवादी को उक्त भूमि जयिय विरासत है जिसमें प्रतिवादी का 1/3 हिस्सा है। उक्त वादग्रस्त भूमि पूर्व में वादीगण के दादा व प्रतिवादी के पिता रकबा 43-01 बीघा व खसरा नम्बर 2027 रकबा 66-08 बीघा कुल रकबा 109-09 बीघा काहत भूमि स्थित की सामग्री की पुस्तिका को भूमि ग्राम बड़ी हाणी पटवार क्षेत्र घटार तहसील बाप के खसरा नम्बर 2009 वादीगण ने एक पत्र कर रखा है जिसके साक्ष्य तथ्य निम्न प्रकार है वादीगण एवं प्रतिवादी

दिनांक :- 13/03/2019

**निर्णय**

1. श्री राजेशसिंह सोलंकी अधिवक्ता वादीगण की ओर से
2. श्री रिउपालसिंह सोलंकी अधिवक्ता प्रतिवादी की ओर से

उपस्थित :-

राजस्व मूल वाद संख्या :- 99/2019

**दादा अंतर्गत धारा 88 राजस्थान कारतकारी अधिनियम**

	तहसील बाप जिला जोधपुर	
प्रतिवादी	बनाम	वादीगण
करसाराण पुत्र खर्चाल	जति पालीवाल निवासी ग्राम बाप	2. मीनलाल पुत्र करसाराण
जति पालीवाल निवासी बाप	1. देवीलाल पालीवाल पुत्र करसाराण	

बड़लाला पीतलीन अधिकारी श्री महावीर सिंह (आ.र.प.स.)



(महोदय) सिद्ध  
 महोदय कलक्टर  
 (सिद्ध) बाप  
 (सिद्ध) बाप  
 (सिद्ध) बाप

*[Handwritten signature]*

निर्णय आज दिनांक 13/03/2022खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सुमार होकर, नम्बर से कम हो, दखिल दफतर हो।

राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद कर आदेश की पालना करें। डिफी पर्या अलग से जारी हो। पत्रावली फौसल किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। उक्त भूमि पूर्व अनुसार रदन रहेगी। तहसीलदार बाप माफिक आदेश काहत भूमि में वादीगण को प्रतिवादी के साथ 1/3 हिस्सा में संयुक्त रूप से सहखातेदार कारतकार धाबित नम्बर 2009 रकबा 43-01 बीघा व खसरा नम्बर 2027 रकबा 66-08 बीघा कुल रकबा 109-09 बीघा की बाद वादीगण स्वीकार किया जाता है याम बडी बापी पटवार क्षेत्र घटार तहसील बाप के खसरा

**आदेश**

किया जाता है।

कारतकार धाबित किया जाना न्यायाधिकार है। वादीगण का बाद स्वीकार किये जाने योग्य होने से स्वीकार वादीगण प्रत्येक का उक्त वादग्रस्त भूमि में धैतुक हिस्सा बनता है इसी अनुसार वादीगण को सहखातेदार प्रतिवादी के जाइन्दा पुत्र है। उक्त सम्पूर्ण तथ्यों को प्रतिवादी ने स्वीकार किया है। अतः वादग्रस्त भूमि में को विरासत में प्राप्त हुई है। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजीय साक्ष्य नामांतरकरण से साबित है। वादीगण किया जिससे साबित है उक्त वादग्रस्त भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी की पुरवैनी काहत भूमि है जो प्रतिवादी वकूलाय पक्षकारान की बहस सुनी जाकर पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजीय साक्ष्य का अवलोकन किया जावे।

प्रतिवादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि वादीगण का बाद माफिक इस्तदुआ डिफी वादीगण को प्रतिवादी के साथ 1/3 हिस्सा में संयुक्त रूप से खातेदार कारतकार धाबित किया जावे। वादग्रस्त भूमि में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत जन्म से ही हक निहित हो जाता है। इसलिये भूमि जासिये विरासत के प्राप्त हुई है। बाँकि वादीगण प्रतिवादी की जायन्दा संतानों है इसलिये उनका उक्त स्थित है। उक्त भूमि पूर्व में वादीगण एवं प्रतिवादी क पूजा क नामांतरकरण से साबित है।

